

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 1991/कार्तिक 6, 1913

No. 389] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 1991/KARTIKA 6, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1991

आदेश

सा.का.नि. 651 (अ) :—खापक औषध-द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अद्वैत व्यापार निवारण
अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री ए.के. श्रीवास्तव को उक्त अधिनियम के
प्रयोजनों के लिए, विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा.सं. 820/6/91-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस.]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

2859 GI/91

(1)